संख्या–1593 /38–7–2009–75 एनआरईजीए/09

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2009

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवसित ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार दिये जाने की प्रतिबद्धता है, तथा रोजगार हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तारीख के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवसित श्रमिकों को पूर्णरूपेण रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उनके द्वारा रोजगार की मांग करने पर भी उन्हें काम से वंचित रखा जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार मुहैया कराने हेतु आवेदन पत्र अब ग्राम रोजगार सेवक को भी प्राप्त कराये जायेंगे, आवेदन पत्रों को स्वीकार करने एवं उसकी प्राप्ति रसीद भी आवेदक को दी जायेगी और ग्राम रोजगार सेवक प्राप्त आवेदन पत्र को दो दिन के भीतर ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को प्रत्येक दशा में हस्तगत करायेंगे तथा उसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को भी देंगे, यदि वे उक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते है और उनके विरूद्व शिकायत प्राप्त होती है तो कडी कार्यवाही की जायेगी। 10 दिन के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध न कराये जाने पर ग्राम रोजगार सेवक नरेगा हेल्प लाइन नं0–95522–2231017, 95522–4055999, 9793230999 पर सूचना उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1593 (1)/38–7–09 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
अनुसचिव।